संख्या–51 आयोग /26–3–2010–9(82)/2000

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति आयोग,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 2 नवम्बर, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में उ0प्र0 अनुसुचित जाति एवं जनजाति आयोग के लिए अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनेतर पक्ष में किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–दो–लेखा/59053/बजट/09/534(सा) दिनांक 11–10–2010 एवं शासनादेश संख्या–16आयोग/26–3–2010–9(82)/2000, दिनांक 26–4–2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अनुसुचित जाति एवं जनजाति आयोग के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में किये गये आय–व्ययक प्राविधान रू0 281.92 लाख के सापेक्ष निम्न प्रकार दिये गये विवरण के अनुसार अवशेष धनराशि रू0 1,08,46,000/–(रूपया एक करोड़ आठ लाख छियालिस हजार मात्र) की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों एवं नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

मदवार नाम	(धनराशि हजार रूपयों में)
07–अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–	
43– वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान–	10846
योग–	10846

(रूपया एक करोड़ आठ लाख छियालिस हजार मात्र)

(1) आयोग द्वारा मितव्ययिता संबंधी मदों में व्यय हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इन मदों में बचत तथा अनुदान के उपयोग की सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । उक्त स्वीकृत अनुदान पर अनुदान नियमावली में उल्लिखित नियम लागू होगें ।

(2) वर्ष 2009–10 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र तथा उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता/उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

---2

राकेश जी0ओ0

(3) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–951/दस–2010 –231/2010,दिनांक 26–3–2010 में निहित निर्देशों/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 के लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण – आयोजनेत्तर – 01– अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–07 – अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग–43–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान– के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–3–1961 /दस–2010,दिनांक 01 नवम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।

संख्या– 51 आयोग (1)/26–3–2010 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार (लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4– निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
5– अध्यक्ष, उ0प्र0 अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,इन्दिरा भवन,लखनऊ।
6– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
7– सलाहकार, समाज कल्याण।
8– निदेशक एन0आई0 सी0 योजना भवन, लखनऊ।
9– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

केश जी0ओ0